न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 13/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. बोदूराम उर्फ बद्रीलाल पुत्र स्व. सुवालाल जाति कुमावत निवासी मगनपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, वकील वादी की ओर सें।**

नि र्ण य दिनांक –09.10.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 556, 558, 558/1029 किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड पटवार हल्का कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो वादी की खातेदारी भूमि है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 7/8 हिस्से अनसार मौके पर काबिज काश्तकार है। वादी के जन्म के पश्चात बाल्य अवस्था में वादी को घर पर प्यार सें माता–पिता व दादा– दादी बोदूराम के नाम सें पुकारने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बोदूराम दर्ज करवा दिया गया जबकि बोदूराम व बद्रीलाल दोनों एक ही व्यक्ति/वादी के नाम है। इस प्रकार वादी के नाम सें बने आधारकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम बद्रीलाल अंकित चला आ रहा है वादी के बोदूराम नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। वादी के उपरोक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत बाय द्वारा इस कथन की पुष्टि की गई है कि बोदूराम व बद्रीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। दिनांक 19.02.2010 को वादी ने अपने भ्रातागण गौरीलाल, सीताराम पुत्रगण सुवालाल एवं भतीजे गजानंद, हीरालाल, हरीश पुत्रगण मदनलाल जाति कुमावत निवासी मगनपुरासें वाके ग्राम जालूण्ड की तन में अवस्थित उक्त भूमियों में सें 5/8 हिस्से की पैतृक भूमि की रिलीज डीड अपने पक्ष में तस्दीक करवाया था। उक्त रिलीज डीड उपपंजीयक दांतारामगढ द्वारा उसी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

दिन तस्दीक कर दिया गया था। उक्त रिलीज डीड में भी वादी का नाम बोदूराम उर्फ बद्रीलाल पुत्र सुवालाल जाति कुमावत निवासी मगनपुरा दर्ज है इसलिए उक्त रिलीज डीड के अनुसार भी वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बोदूराम उर्फ बद्रीलाल दर्ज किया जाकर दुरूस्ती का आदेश फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है। वादकारण वादी द्वारा अपनी भूमि को विकसित करने के लिए बैंक सें ऋण लेने की कार्यवाही हेतु बैंक में जाने पर भिन्न नाम होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती होने के बाद ही ऋण मिलने के कारण उत्पन्न हुआ अतः वादपत्र पेश करना लाजमी हुआ है। अंत में वादपत्र पेश कर यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 556, 558, 558/1029 किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टर वाके ग्राम जालूण्ड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदार के रूप में बोदूराम उर्फ बद्रीलाल के नाम की उद्घोषणा की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा आग्रह किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बोदूराम गलत दर्ज है अतः वादपत्र स्वीकार कर वादी का नाम बोदूराम के स्थान पर बोदूराम उर्फ बद्रीलाल दर्ज किये जाने की उद्घोषणा की जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम जालूण्ड के खसरा नम्बर 556, 558, 558/1029 किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टर में प्रार्थी का सही नाम बोदूराम उर्फ बद्रीलाल है जो ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर तथा पेश दस्तावेजों के आधार पर सही नाम बोदूराम उर्फ बद्रीलाल जो रिलीज डीड एवं विरासत की खातेदारी सें उक्त भूमि प्राप्त होने के कारण बोदूराम उर्फ बद्रीलाल पुत्र सुवालाल दर्ज किये जाने बाबत रिपोर्ट प्रेषित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **वाद वादी वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जालूण्ड के खसरा नम्बर 556, 558, 558/1029 किता 3 कुल रकबा 1.21 हैक्टर में वादी का नाम बोदूराम के स्थान पर बोदूराम उर्फ बद्रीलाल दर्ज करने की उद्घोषणा की**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

जाती है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner